

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार, पटना।

आदेश।

दिनांक-12/01/2026

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-12.12.2025 से प्रारंभ कर अब तक पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा एवं भागलपुर जिला/प्रमण्डल मुख्यालय में "भूमि सुधार जन संवाद" कार्यक्रम का आयोजन कर आम जन की शिकायतों को सुना गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिला में बहुत बड़ी संख्या में शिकायत/परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनका समयबद्ध एवं त्वरित नियमानुकूल निष्पादन किया जाना है।

विभिन्न जिलों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन का अनुश्रवण करने हेतु मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण दल का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

1. श्रीमती मोना झा, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय
2. श्री कमल नयन कश्यप, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।
3. श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री मनोज गुप्ता, राजस्व पदाधिकारी, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार
5. श्रीमती अनुजा, राजस्व पदाधिकारी, RSTI, शास्त्रीनगर
6. कुमार हर्ष, राजस्व पदाधिकारी, भू-अर्जन निदेशालय
7. विभागीय प्रशाखा-09ए के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. विभागीय आई0टी0 सेल के सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

मुख्यालय स्तर पर निम्नांकित का अनुश्रवण किया जायेगा।

1. जिलों द्वारा भूमि सुधार जन-संवाद में प्राप्त आवेदनों की जन शिकायत पोर्टल पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि।
2. साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त करना एवं उसकी समीक्षा कर उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. धीमी प्रगति वाले जिलों को चिन्हित करना एवं धीमी प्रगति के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।

II. जिला/अंचल स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

1. भूमि सुधार जन-संवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को विषयवार दर्गीकृत करना, यथा-दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-मापी, भूमि विवाद, लोक भूमि अतिक्रमण, विविध (उदाहरण-बंटवारा/भू-सम्परीवर्तन आदि)।

2. अंचल स्तर पर निष्पादित किए जाने वाले/अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/अन्य उच्चाधिकारी/न्यायालय/पुलिस स्तर से निष्पादित किए जाने वाले आवेदनों को वर्गीकृत करना एवं संबंधित कार्यालय को अग्रसारित/अभिलेखबद्ध करना।
3. निष्पादित/अग्रसारित/कृत कार्रवाई की प्रविष्टि आवेदनों की सूची में अंकित कर संधारित करना।
4. विहित प्रपत्र (संलग्न) में समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना।

III. सभी प्राप्त आवेदनों को अंतिम रूप से निष्पादित करने की समय-सीमा भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम की तिथि से अधिकतम 30 दिन (एक माह) होगी।

सभी संबंधित उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

IV. जिन जिलों में अभी भूमि-सुधार जन संवाद कार्यक्रम होना बाकी है, वह भी यह कार्यक्रम सम्पन्न होने पर समरूप कार्य करेंगे।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/01/2024
(गोपाल मीणा),

सचिव।

ज्ञापांक-10/सम० (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही) 43/2024... 48 (10)/ रा०, पटना-15 दिनांक 12/01/2024
प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/2024
(गोपाल मीणा),

सचिव।

ज्ञापांक-10/सम० (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)-43/2024... 48 (10)/ रा०, पटना-15 दिनांक-12/01/2024
प्रतिलिपि :- पटना/लखीसराय/मुजफ्फरपुर/पूर्णिया/सहरसा/भागलपुर जिला के सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/2024
(गोपाल मीणा),

सचिव।

ज्ञापांक-10/सम० (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)-43/2024... 48 (10)/ रा०, पटना-15 दिनांक-12/01/2024
प्रतिलिपि :- शेष सभी समाहर्ता/अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/2024
(गोपाल मीणा),

सचिव।

ज्ञापांक-10/सम० (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)-43/2024... 48 (10)/ रा०, पटना-15 दिनांक-12/01/2024
प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/2024
(गोपाल मीणा),

सचिव।

८

प्रपत्र -I
भूमि सुधार जन-संवाद कार्यक्रम

जिला का नाम :-

कार्यक्रम की तिथि :-

क्र०स०	अंचल का नाम	आवेदक का नाम/पता	Regd. No	विषय	अभ्युक्ति

अपर समाहर्ता



प्रपत्र -॥

भूमि सुधार जन-संवाद कार्यक्रम-साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम :-

प्रतिवेदन की तिथि :-

[illegible]

अपर समाहर्त्ता